कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
नया,रायपुर(छ.ग.)

कमांक/214/67/आउशि/समन्वय/2015 रायपुर,दिनांक 15/6/15

प्रति,

प्रचार्य
समस्त शास. अग्रणी
महाविद्यालय..
(छ.ग.) ।

विषय :- **प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं विश्वविद्यालयों के कुलसिचवों की बैठक दिनांक 22.05.2015 का कार्यवाही विवरण का प्रेषण ।**

——00——

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 22.05.2015 को आयोजित अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। कृपया कार्यवाही विवरण की छायाप्रति अपने अधीनस्थ शासकीय महाविद्यालयों को उपलब्ध कराते हुए बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें एवं पालन प्रतिवेदन 10 दिवस के भीतर अद्योहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें ।

(आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमोदित)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पृ. कमांक/215/67/आउशि/समन्वय/2015 रायपुर,दिनांक 15.06.2015
प्रतिलिपि :–

1. उप सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं परियोजना संचालक (रूसा)मंत्रालय, रायपुर।
2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर ।
3. डॉ. आर. बी. सुब्रमनियम, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर।
4. डॉ. डी.एन. वर्मा, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
5. डॉ. के.एन. बापट, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
6. डॉ. समरेन्द्र सिंह, राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर
7. डॉ. पी.सी. चौबे, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर।
8. संयुक्त संचालक(वित्त) उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर।
9. उप संचालक (टी)उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर।

...........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 22.5.2015 को आयोजित अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक का कार्यवाही विवरण

प्रदेश के सभी जिलों के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की बैठक दिनांक 22.05.2015 को प्रातः 11.00 बजे महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर में माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, मंत्री, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा राजस्व विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारी–गण की सूची परिशिष्ट– "अ" पर है। सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मंत्रीजी, बैठक में उपस्थित अधिकारियों विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1/ **सर्वप्रथम बैठक दिनांक 09.01.2015 की बैठक की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन के संबंध में माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया गया तथा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–**

(i) सचिव उच्च शिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया कि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व महाविद्यालयों की दैनंदिन समस्याओं का निराकरण हो जाना चाहिए। यदि किसी महाविद्यालय की समस्या का निराकरण नही हुआ है तो, इसकी जानकारी अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य उच्च शिक्षा संचालनालय को तत्काल भेजें।

(ii) अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी एवं लंबित समस्याओं तथा मांगों के निराकरण हेतु वेब पोर्टल का निर्माण जून, 2015 तक पूर्ण किया जाए। इस वेब पोर्टल में महाविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी को अपलोड किया जाए। इसके माध्यम से आने वाले समस्याओं के निराकरण की दिशा में पहल की जाएगी । यह कार्य एन.आई.सी. / चिप्स से कराया जा सकता है।

(कार्यवाही **JD(C), DD(T)** द्वारा)

(iii) अकादमिक सत्र 2015–16 प्रारंभ होने के पूर्व सभी अग्रणी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वाईफाई सेवा प्रारंभ की जाए। इस संबंध में दिनांक 10.02.2015 को पत्र जारी किया गया है जिसमें **"आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ किये जाने के पूर्व प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में वाई–फाई की सुविधा हेतु संसाधन सीमित होने की दशा में प्रथमतः ग्रंथालय, हॉस्टल एवं कक्षाओं में वाई–फाई की सुविधा प्रारंभ की जा सकती है। उक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यू.जी.सी. अथवा अन्य मद से धनराशि की व्यवस्था नही होने की स्थिति में जनभागीदारी समिति की कुछ सीमिति राशि का उपयोग इस हेतु किया जा सकता है। "** अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जून, 2015 तक महाविद्यालय परिसर को वाईफाईयुक्त कर लिया जाएगा।

(कार्यवाही **JD(C), DD(T)** द्वारा)

(iv) दिनांक 09.01.2015 को अग्रणी महाविद्यालयों की बैठक में निर्णय लिया गया था कि राजनांदगांव जिले के शासकीय महाविद्यालय, रामाटोला को इस सत्र से बंद किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रों को शास. महा. लालबहादुर नगर में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस संबंध में कलेक्टर राजनांदगांव से अतिशीघ्र जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए। ओड़गी महाविद्यालय को बंद किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि नवीन महाविद्यालय होने के कारण इस शैक्षणिक सत्र में प्रवेशित छात्र संख्या के आधार पर आगामी बैठक में निर्णय लिया जावेगा ।

(कार्यवाही JD(C), DD(T) द्वारा)

(v) **महाविद्यालयों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में :–**

माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया था कि ऐसे महाविद्यालय तथा विषय जहाँ छात्र संख्या कम है उनका युक्तियुक्तकरण किया जावे। इस संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही प्रकियाधीन है। माननीय मंत्रीजी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी से चर्चा उपरांत निर्णय लिया जाना है।

(vi) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 05 नये मॉडल कॉलेज दुर्ग, रायपुर, कांकेर, जगदलपुर एवं राजनांदगाव में आगामी सत्र 2015–16 से प्रारंभ किया जाना है। इस हेतु प्राचार्य कलेक्टर के माध्यम से भूमि का चयन शीघ्र कर कार्यालय को सूचित करें तथा तात्कालिक व्यवस्था हेतु शहर के आसपास शासकीय/अर्द्ध शासकीय भवन का चयन कर जानकारी एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही संबंधित अग्रणी महाविद्यालय द्वारा)

(vii) **ई– लर्निंग एवं स्मार्ट क्लास रूम के संबंध में :–**

कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर एवं संयुक्त संचालक श्री चौबे को निर्देशित किया गया कि आगामी शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व निश्चित रूप से स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अच्छे व्याख्यान के रिकार्ड करें एवं सी.डी. एवं पेनड्राईव में व्याख्यान उपलब्ध करावें ताकि शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो ।

(viii) सभी शासकीय महाविद्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी **एस.क्यू.ए.सी.** के वेबसाइड में 15 जून तक अनिवार्यत अपलोड किया जावे ।

(कार्यवाही JD(C) द्वारा)

(ix) जिन महाविद्यालयो में जनभागीदारी समिति का गठन नही हुआ है, वहाँ समिति के गठन हेतु माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी की ओर से जिले के प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा जावे ताकि जनभागीदारी समिति का गठन शीघ्र हो सके ।

(कार्यवाही उप सचिव द्वारा)

(x) सावित्री जिदंल इन्टीट्यूट बंगलोर के द्वारा दो कन्या छात्रावास बस्तर विश्वविद्यालय, बस्तर एवं शासकीय ई. राधवेन्द्रराव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर में निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। संबंधित संस्थायें अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को अतिशीघ्र भेजें।

2/आगामी शैक्षणिक सत्र 2015–16 की तैयारियों के संबंध में जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2015–16 में महाविद्यालय का वातावरण प्रवेश हेतु अनुकुल होना चाहिए। महाविद्यालय के ब्रोशर रंगीन/आर्कषक हो जिसमें महाविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी हो। शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई, रंग रोगन, टॉयलेट की सफाई तथा फर्नीचार मरम्मत इत्यादि कार्य पूर्ण होना चाहिए। प्रवेश प्रकिया On Line के साथ–साथ Off Line भी हो, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । On Line प्रवेश के संबंध में NIC एवं चिप्स की सहायता ली जा सकती है।

3/लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में:–

यह देखा गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम–2011 का मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन संचालनालय को समयावधि में प्राप्त नही होता है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत 9 अधिसूचित सेवाओं की संख्यात्मक जानकारी प्रदान की जावे। कुछ महाविद्यालय निरंक में जानकारी भेजते है ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन नही किया जाता है। अतः जानकारी सही एवं संख्यात्मक भेंजें।

4/अग्रणी महाविद्यालयों के कैम्पस को वाईफाई करना

पालन प्रतिवेदन में चर्चा की जा चुकी है।

5/ई लर्निंग एवं ई लाइब्रेरी के संबंध में

पालन प्रतिवेदन में चर्चा की जा चुकी है।

6/महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखने एवं सभी महाविद्यालयों को एक ही रंग से पुताई कराये जाने के संबंध में

महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखने एवं सभी महाविद्यालयों को एक ही रंग से पुताई कराये जाने के संबंध में मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 04.01.2015 को सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। महाविद्यालय इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

7/ <u>न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी</u>

सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रभारी अधिकारी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समय सीमा में न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करें। समय सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी प्रभारी अधिकारी की होगी। न्यायालयीन आदेश का समय सीमा में पालन करें, ताकि सचिव, उच्च शिक्षा को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की स्थिति निर्मित न हो। एक समान प्रकरणों में कॉमन रिप्लाई प्रस्तुत किया जाए। जून माह तक सभी प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत किया जाए। न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में उप संचालक श्री सेनगुप्ता, अपर संचालक डॉ. आर.बी. सुब्रामनियन एवं विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री ए.के. पाण्डेय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

8/ <u>कौशल विकास योजना के संबंध में जानकारी</u>

शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास एवं साथ ही उनके रोजगारपरक जीवन कौशल संबंधी क्षमताओं का विकास करने के उद्देश्य से शासन द्वारा "महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास योजना" का कियान्वयन आगामी शैक्षणिक सत्र (2015–16) से किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं को नैतिक जीवन मूल्य, समान व्यवहार कौशल, अंग्रेजी भाषा संचार क्षमता तथा कम्प्यूटर आधारित दक्षता हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण दिया जावेगा। योजना के अंतर्गत 100 घंटों का का एक पाठयक्रम के माध्यम से ही शिक्षण–प्रशिक्षण संचालित होगा। विस्तृत निर्देश पृथक से भेजा जा रहा है।

9/ <u>च्वाइस बेस्ड केडिट सिस्टम के संबंध में</u>

च्वाईस बेस्ड केडिट सिस्टम में विद्यार्थी अपने पसंद के विषय अपनी क्षमता एवं योग्यतानुसार लेकर सीख सकते है। अतिरिक्त पाठ्यक्रम लेकर आवश्यक केडिट से ज्यादा केडिट भी प्राप्त कर सकते है। इस प्रणाली को स्नातकोत्तर स्तर पर बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर में लागू किया गया है। इस संबंध में क्या तैयारी है, इस बाबत सभी अग्रणी महाविद्यालयों को अवगत करावेगें।

10/ <u>सूचना के अधिकार के संबंध में</u>

सूचना के अधिकार के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं समयावधि में संचालनालय को प्राप्त नही होता है जिससे राज्य सूचना आयोग को समयावधि में जानकारी भेजने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सूचना के अधिकार के संबंध में जानकारी समय पर उपलब्ध करायें। जानकारी भेजने में लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

11/प्रधानमंत्री जन–धन योजना अन्तर्गत महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र–छात्राओं का बैंक में खाता खोलने के संबंध में

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र–छात्राओं का बैंक में खाता खोला जाना है, जिससे राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली नगद सुविधायें जैसे छात्रवृत्ति इत्यादि सीधे इनके बैंक खातों में जमा हो सके । मुख्य सचिव से प्राप्त पत्र की प्रति सभी उपलब्ध करायी गयी।

12/सभी अग्रणी महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क खोलने के संबंध में–

सभी अग्रणी महाविद्यालयों में 'हेल्प डेस्क' स्थापित किया जाना है, जिसके माध्यम से उस जिले में बिना मान्यता प्राप्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालय की शैक्षणिक संस्थायें/ ऑफ कैम्पस/ स्टडी सेन्टर/ फ्रेचाइजी से संचालित संस्थानों के विरूद्व शिकायत दर्ज की जा सकती है, साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं की वैद्यता के संबंध में जानकारी प्रदान की जा सकती है।

13/जनभागीदारी समिति के द्वारा किये गये कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन–

जनभागीदारी समिति द्वारा महाविद्यालय में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे है, जिसकी सूचना विभाग को प्राप्त नही हो पाती। अतः आगामी शैक्षणिक सत्र से जनभागीदारी समिति में उपलब्ध राशि एवं जनभागीदारी समिति द्वारा किये गये कार्यो का वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें ।

14/तृतीय लिंग के संबंध में

तृतीय लिंग समुदाय के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 का परिपालन सुनिश्चित करें। प्रवेश मार्गदर्शिका पत्र में पुरूष महिला के साथ तीसरा कॉलम में तृतीय लिंग भी जोड़ा जाये। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देश का पालन करें।

15/ छात्र संघ चुनाव

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्र संघ चुनाव कराया जाना है। छात्र संघ अध्यादेश में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे शीघ्र करा लिया जाए। छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाएं। छात्रसंघ चुनाव अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार संपन्न कराये एवं अकादमिक कैलेण्डर का पालन करे।

एजेण्डा बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

- प्रदेश में बिना मान्यता के शिक्षण संस्थाएं/स्टडी सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। जिले के महाविद्यालय में कोई ऐसी संस्था संचालित है तो प्राचार्य, जिला कलेक्टर एवं पुलिस के सहयोग से उसे बंद कराएं।
- कुल सचिव, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर को निर्देशित किया गया कि दुर्ग में विश्वविद्यालय की स्थापना के फलस्वरूप परिसम्पत्तियों एवं कर्मचारियों के बंटवारे के संबंध में कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें।
- महाविद्यालय के भवन का नवीन डिजाईन शासकीय नागार्जुन विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय,रायपुर एवं शासकीय वि.या. ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग के डिजाईन के आधार पर बनाया जाये।
- सभी महाविद्यालयों के द्वारा ऑडिट तथा महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों का मिलान समय पर कराया जाए।
- विश्वविद्यालयों के द्वारा स्थापना अनुदान की प्रथम किश्त की विमुक्ति के लिये पिछले वर्ष की गई अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्थानीय निधि संपरीक्षा से आडिट कराकर एक सप्ताह में भेंजें ताकि किश्त समय पर जारी किया जा सके।
- सुन्दर लाल शर्मा मुक्त वि.वि के कुलपति द्वारा महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर एवं परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर सहमति चाही है। अतः महाविद्यालयों में स्टडी सेंटर तथा परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकता है क्योंकि यह एक शासकीय विश्वविद्यालय है।
- महाविद्यालयों को जारी 10.30 से 05.30 तक उपस्थिति संबंधी आदेश अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में भी लागू किया जावे।
- सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा अनिवार्यतः दिनांक 21, जून; 2015 को अन्तर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जावें। इस बाबत् विस्तृत निर्देश दिया गया।
- शिक्षकों के गोपनीय चरित्रावली में मूल्यांकन हेतु सभी प्राचार्य परीक्षा परिणाम का विश्लेषण प्रपत्र में प्रदाय कर समय सीमा में जानकारी प्रेषित करें।
- अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं क्षेत्रीय अपर संचालक अपने जिले/संभाग के महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक समय– समय पर लेवें जिससे महाविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा परिणाम, नेक मूल्यांकन आदि की जानकारी समयावधि में प्राप्त हो सके।
- महाविद्यालयों में निरीक्षण कार्य निरंतर जारी रहेगा।
- महत्वपूर्ण बैठकों में प्राचार्य के प्रतिनिधि की उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर
(छ.ग.)